

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज


संख्या:AE-2/03/W.M.-I/Gr.III/329/परिवीक्षा अवधि/1078

दिनांक: 24.08.2023

कार्यालय आदेश

MSO Admn.(Vol-I) के प्रस्तर 7.5 में निहित प्रावधानों के अनुसार खंडीय लेखाकार के संवर्ग में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा। निम्नलिखित खंडीय लेखाकारों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है। खंडीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण उपर्युक्त वर्णित प्रस्तर के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि तक परिवीक्षा अवधि विस्तारित की जाती है:-

क्र० सं०	नाम	व्य०सं०	विस्तारित परिवीक्षा अवधि की तिथि
1.	अनुराग पाठक	1671	25.11.2023
2.	विकल कुमार	1672	30.11.2023
3.	राकेश मित्तल	1731	18.12.2023


मुख्य महालेखाकार/डीएसपी
24/8
तददिनांक

संख्या:AE-2/03/W.M.-I/Gr.III/329/परिवीक्षा अवधि/815-817

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संबंधित कर्मचारियों को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से इस सूचना के साथ प्रेषित है कि भविष्य में खंडीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण परिवीक्षा अवधि विस्तारित नहीं की जायेगी।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-1